

No. FCA/(Suket)/ 1492
H.P. Forest Department.

Dated Mandi, the/ 13/5/2022

From: CCF (T) Mandi.

To: Nodal Officer-cum-APCCF (FCA),
O/o Pr.CCF H.P Shimla.

Subject:

Diversion of 1.8272 ha. of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road Chowk to Sandoa via Dharjoi Ropri Dhar Kms 0/00 to 4/810 Km, within the jurisdiction of Suket Forest Divisions, District Mandi H.P.

Memorandum:

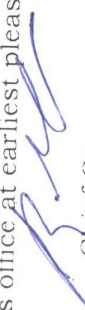
Kindly refer to MoEF & CC CGO Complexm, Shivalik Khand Longwood letter No. FC/HPB/06/17/2021 dated 15.02.2022 received through MoEF web portal on the above cited subject.

2. The pointwise stipulations as raised vide letter under reference have been attended to and submitted as under:-

1. Para-I, Para D(ii) में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलोड documents सक्षम अधिकारी द्वारा स्थापित कर दिए गए हैं तथा justification for locating the project in forest area से सम्बन्धित दस्तावेज सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थापित कर online part-I में अपलोड कर दिए गए हैं व परियोजना फोल्डर पृष्ठ संख्या 28 में संलग्न है।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Para-I, Para E(iii) में अंकित किए गए प्रस्तावित सड़क से temporary Employment के रूप में सृजित होने वाले person-days को पुनः समीक्षा करके सुधार दिया गया है।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Part-I Para B2.3 में दर्शाए गए सभी गांवों की location, नाम सहित KML file में दर्शा दिए गए हैं और Para-I में भी अपलोड कर दिया गया है।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Part-I Para additional document detail column में क्रमांक 1 से 4 एवं 6 से 9 में अपलोड किए गए दस्तावेजों को सक्षम अधिकारी द्वारा स्थापित कर दिए गए हैं साथ ही साथ ऑनलाईन पोर्टल में भी अपलोड कर दिए गए हैं।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित जानकारी के अनुसार सन्दोआ रोपड़ी धरजोल ग्राम के समस्त ग्रामीण ने वर्ष 1974-75 के दौरान संयुक्त रूप और संयुक्त धन राशि से उक्त भूमि पर कच्ची सड़क का निर्माण किया गया था और आज तक उक्त सड़क का उपयोग उक्त ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा है इस सन्दर्भ में ग्रामीणों द्वारा दिया गया शपथ पत्र साथ संलग्न है। साथ ही साथ चूंकि सड़क उल्लंघन मामला वर्ष 1980 से पूर्व का है अतः Penal NPV की गणना को शून्य समझा जाए।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित सड़क के निर्मित होने से दो पंचायतों के पांच राजस्व गांव (चौक, धरजोल, रछोट, रोपड़ी तथा सन्दोआ) आदि की लगभग 1677 से उपर की आबादी लाभान्वित होती है। गौरतलब है कि इस सड़क मार्ग से जुड़ने वाली 40% आबादी अनुसूचित जाति से सम्बन्ध रखती है। धरजोल गांव अनेक उपबस्तियों में बसा हुआ है तथा इसका भौगोलिक क्षेत्र क्षति विकट एवं दुर्गम है। रोपड़ी गांव से धरजोल गांव की ओर दर्शाए गए लगभग 350 मीटर वन क्षेत्र के दायरे में एक ओर जंहा रोपड़ी पंचायत का रछोट राजस्व गांव स्थित है, वहां दूसरी ओर धरजोल गांव का अंतिम छोर पडता है जंहा स्वतन्त्रता सेनानी श्री त्वारसू राम की याद में प्राथमिकता के आधार पर बनाने का आश्वासन दिया था लेकिन वन भूमि औपचारिकताओं को पूरण करने में लगभग 5 वर्ष का समय गुजर गया। स्वतन्त्रता सेनानी की विधवा स्वर्गीय श्रीमती पार्वती देवी की मृत्यु 3 माह पूर्व हुई है जो सड़क सुविधा के लिए अंत तक तरसती रही। अतः इस सड़क मार्ग का निर्माण महान दिवंगत आत्माओं के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अतः रोपड़ी तथा धरजोल गांव को जोड़ना आवश्यक है, क्योंकि आपसी रिश्तेदारी होने से वांसिदों को कम दूरी का सम्पर्क सड़क मार्ग मिल जाएगा। इस सड़क के निर्माण से कामेश्वर देव मंदिर तथा झौड़ी माता मंदिर जो ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है वह आपस में जुड़ जाएंगे तथा लोगों को आने जाने के लिए कम दूरी का संपर्क सड़क मार्ग मिल जाएगा। इस सड़क के रोपड़ी धार में बने सार्वजनिक शमशान घाट के लिए भी अंतिम यात्रा सुगम हो जाएगी। वर्तमान में शिना ग्रेड के बनी अधूरी सड़क औसतन 3 से 4 मीटर चौड़ी है, जो कि लोक निर्माण विभाग के मानकों पर खरी नहीं उतरती है। अतः मानक अनुसार सड़क निर्माण होने से एक ओर जंहा 5 राजस्व गांव की आबादी को निर्माणित सड़क से सुविधा मिलेगी वहीं सरकार द्वारा ग्रामीण आबादी को सड़क सुविधा देने का सकल्य पूरा होगा।

It is, therefore requested that the necessary approval under FCA, 1980 may kindly be obtained and conveyed to this office at earliest please.

Encl: As above.


Chief Conservator of Forests,
Forest Circle Mandi HP